निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 596/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

पानफूल पुत्र स्व. श्री गंगाराम जाति मीणा, निवासी, ग्राम सुमेल तहसील जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नरसी पुत्र स्व. श्री गंगाराम,
2. सेठी पुत्र श्री बिरदीचंद,

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सुमेल तहसील व जिला जयपुर।
3. नारायणी पुत्री बिरधा, जाति मीणा, ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर।
5. इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये संयोजक।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 250/2024 एवं टी. आई. प्रार्थना पत्र संख्या 236/2024 ब उनवानी पानफूल बनाम नरसी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री शुभम शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दामोदर प्रसाद कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 250/2024 एवं टी. आई. प्रार्थना पत्र संख्या 236/2024 ब उनवानी पानफूल बनाम नरसी व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री दामोदर प्रसाद कुमावत, अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जाता है एवं उसके

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जबकि कानूनन समिति जो कि Juristic person की श्रेणी में आती है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को कोई अधिकार प्रदान नही करती है, उसके बावजूद विभाजन के वाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 5 को पक्षकार बना लिया जाता है एवं अब पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 5 के प्रभाव में आकर प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को खारिज करने पर आमादा है। दिनांक 18.8.2025 को प्रार्थी का पुत्र पत्रावली की नकल हेतु पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में गए जो उसने वहां पर अप्रार्थी संख्या 5 के नुमायंदों को पीठासीन अधिकारी के कार्यालय से बाहर आते हुए देखा एवं इस पर प्रार्थी के पुत्र ने पूछा तुम आज यहां कैसे तो उन्होने उससे कहा कि हमारी साहब से अच्छी जान पहचान है और अगली तारीख पर तुम्हारी बहस सुने बिना ही जिस तरह पहले वाले प्रार्थना पत्र का हमारे पक्ष में निर्णय किया था उसी तरह तुम्हारा स्टे भी खारिज करवा देंगे व कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करके रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 5 के नुमायंदों की हरकतों से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी उनके प्रभाव में आकर पत्रावली में निर्णय पारित कर सकते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर